२५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4007–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील मानपुर जिला उमरिया प्रकरण कमांक 11 अ–12/2014–15.

गोरईया पुत्री पुसावा कोल
निवासी ग्राम चंदवार, तहसील मानपुर
जिला उमरिया म.प्र. ——— आवेदिका

विरूद्ध

1– चमरू कोल पुत्र गुलजारी कोल
निवासी ग्राम चंदवार, थाना इन्दवार
तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र.
2– शासन म.प्र. ———अनावेदकगण

श्री संजय कुमार तिवारी अभिभाषक – आवेदिका ।
श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी अभिभाषक – अनावेदक क. –1 ।

:: आदेश ::
(दिनांक 21/5/16 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मानपुर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 11 अ–12/2014–1514 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें आवेदक द्वारा

आपत्ति प्रस्तुत की, उसकी आपत्ति निरस्त कर दी गई । दिनांक 30–10–2014 को तहसीलदार ने सीमांकन एवं नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया । जिस के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।

आवेदिका अभिभाषक के तर्क है कि अनावेदक चमरू कोल द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । फिर भी तहसीलदार ने बिना आवेदन के ही सीमांकन किया । एवं उसमें आवेदिका गोरईया द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर भी कोई विचार नहीं किया । सीमांकन करने के पूर्व सरहदी काश्तकारो तथा आपत्तिकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी । जिस भूमि का सीमांकन किया गया वह भूमि आपत्तिकर्ता (निगरानीकर्ता) की है । जब भूमि निगरानीकर्ता की है तो उसकी भूमि का सीमांकन गैर निगरानीकर्ता के आवेदन पर कैसे किया जा सकता है ।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति का आवेदन दिया तथा यह तर्क दिया गया कि अनावेदक चमरू कोल द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन देकर अपने भूमि स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराया गया । उस पर निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । तहसीलदार द्वारा आपत्ति पर विधिवत विचार किया गया । सीमांकन के समय सरहदी काश्तकारों को सूचना दी गई थी । सभी की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन किया गया । फील्डबुक बनाई गई एवं तहसीलदार द्वारा आवेदिका की आपत्ति पर विधिवत विचार कर उसे निरस्त कर दिया गया । अनावेदक स्वयं की भूमि सर्वे नं0 589/1, 589/2 तथा 653 है जबकि आवेदक 639/1 का भूमिस्वामी है । दोनों की भूमियां अलग है । अनावेदक के आवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की गई । निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । तहसीदार द्वारा सीमांकन की पुष्टिकरण आदेश दिनांक 30–10–2014 उचित है । इसलिये निगरानी निरस्त की जाए ।

उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इससे यह प्रकट होता है कि जिस भूमि का सीमांकन किया गया, उस पर उभयपक्ष अपना भूमि स्वामित्व बता रहे है । अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन पर इसी आधार पर आवेदक ने आपत्ति की थी, जो तहसीलदार ने

निरस्त की है । सीमांकन से किसी का भूमिस्वामित्व सिद्ध नहीं होता, फिर भी सीमांकन के पूर्व तहसीलदार को आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व संबंधी दस्तावेज देखना आवश्यक है । निगरानी के साथ आवेदिका द्वारा विचाराधीन भूमि पर उसके भूमिस्वामी स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए । अतः यदि वास्तव में वर्तमान में आवेदिका ही सीमांकन किए जाने वाली भूमि की वास्तविक भूमिस्वामी है तो वह स्वयं अपने भूमिस्वामी संबंधी दस्तावेजों के साथ सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकती है । यदि आवेदिका द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दिया जाता है तो तहसीलदार भूमि के भूमिस्वामी संबंधी दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर विधिवत उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करें, इसी निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(डॉ0 मधु खर)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर